सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/406 दर्ज तिथिः—10.06.2025

1. बागाराम पुत्र सोनाराम
   जाति माली निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गेनाराम पुत्र खंगाराराम
2. लाभूराम पुत्र खंगाराराम
3. चिमनाराम पुत्र पदमाराम
4. भूराराम पुत्र भैराराम
5. सांवलाराम पुत्र भैराराम
6. भवाराम पुत्र भैराराम
   जाति माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी, डाबड़, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
7. शाखा प्रबंधक एसबीआई एडीबी, शाखा गुड़ामालानी
8. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—24.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1253/4/2.4524 है0 मौजा बोरली पटवार हल्का बारासण तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

- कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1253/3/4.9129 है0 मौजा बोरली तहसील गुड़ामालानी अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 की खातेदारी आराजी है।
- कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी का मूल खसरा संख्या 1253 एक ही था। तत्पश्चात् मूल खसरा संख्या 1253 के विभाजन से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के ऊपर वर्णित हाल खसरा संख्यान दर्ज रिकॉर्ड हैं।
- कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/4 मौके पर कॉलेज से निम्बड़ी सड़क तक जाने वाली डामर सड़क पर लम्बवत् आई हुई है। जिसमें प्रार्थी के उक्त खसरे के दक्षिणी तरफ अर्थात खसरा संख्या 1262/19 की तरफ अप्रार्थीगण को रास्ते हेतु भूमि दी गई है। परंतु उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का रास्ते हेतु उपयोग नहीं लिया जाकर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है एवं प्रार्थी की उक्त आराजी पर रहवासी मकान बना हुआ है।
- कि इसके विपरीत अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/4 के दूसरी तरफ के सेढे अर्थात खसरा संख्या 1253/8 के सेढे से होकर प्रार्थीगण की आराजी में से लम्बे समय से अप्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं।
- कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के अनुसार बिन्दु संख्या ए, बी एवं सी तक अप्रार्थीगण की आराजी में से वर्तमान में रास्ते हेतु भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रदान की गई है। परंतु अप्रार्थीगण उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नहीं लेते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1253/4 में से संलग्न परिशिष्ट—अ में दर्शित बिन्दु संख्या सी से डी तक रास्ते के रूप में उपयोग ले रहे हैं तथा उक्त रास्ता वर्षों से मौके पर चालू है।
- कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थी की आराजी में से चालू रास्ते बिन्दु संख्या सी से डी पर वर्तमान में रास्ता का उपयोग लिया जा रहा है। जो अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253/3 के मध्य से होकर चलायमान सड़क को जोड़ने से अप्रार्थीगण को अत्यंत सुगमता होती है।
- कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त परिशिष्ट—अ के अनुसार बिन्दु संख्या ए, बी एवं सी से बेदखल करने पर आमादा होकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि एवं रहवासी मकान से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा होने पर प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई।
- कि असल में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 05 एवं 06 जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 03, 07 एवं 08 के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04, 05 एवं 06 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः—

- कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/3/4.1929 है0 मौजा बोरली की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दर्ज वाद संख्या 88/2010 में निर्णय दिनांक 18.06.2013 के अनुसार एवं तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2013/2240 दिनांक 24.06.2013 की पालना में नामांतरकरण संख्या 80 की पुश्त पर अंकित अनुसार की गई होने से प्रार्थीगण का उक्त आवेदन काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी न्यायालय आदेश से पृथक हुई है। जिसका माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—53 के प्रावधानों के अनुसार सड़क से जोड़ते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी को पृथक किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा एक अन्य वाद संख्या 151/2015 बउनवान बागाराम बनाम छोगाराम ने पूर्व नामांतरकरण संख्या 80 के इन्द्राज को स्वीकार करते हुए आगे विभाजन करवाया। जिसका नामांतरकरण संख्या 145 पारित किया गया।
- कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी के न्यायालय आदेश की पालना में विभक्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुई आराजी की प्रार्थी द्वारा मनगढत तथ्यों एवं आबादी के पास आई अप्रार्थीगण की आराजी को हथियाने के दुराशय से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त आवेदन राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के प्रावधानों के तहत नहीं आने के आधार पर काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए निम्न प्रकार अतिरिक्त निवेदन किया:—

- कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट—अ में दर्शित बिन्दु संख्या सी से डी पर वर्तमान में मौके पर चालू एवं अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग लिये जा रहे रास्ते के संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा एक आवेदन संख्या 162/2025 वास्ते कदीमी रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् का माननीय हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
- कि उक्त आवेदन संख्या 162/2025 में प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1253/4 के उत्तरी सेढे अर्थात्त खसरा संख्या 1253/8 की तरफ की आराजी में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—अ के बिन्दु संख्या सी से डी तक मौके पर लम्बी अवधि से रास्ता चालू बताते हुए उक्त मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किया गया है। उक्त रास्ता कॉलेज से निम्बड़ी फांटा तक जाने वाली सड़क से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1253/4 के उत्तरी सेढे से होते हुए अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253/3 को जोड़ता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

- कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/3 में अप्रार्थीगण की उक्त चलित रास्ते पर रहवासी ढाणियां बनी हुई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण हेतु परिशिष्ट—अ में दर्शित बिन्दु संख्या ए, बी, सी से होकर उक्त रास्ता अत्यधिक लम्बी दूरी तय करनी होगी तथा अपेक्षाकृत अधिक भूमि रास्ते के रूप में ली जावेगी। साथ ही उक्त आवेदन की मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उक्त चलित बारहमासी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई हैं। सभी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर उक्त मौका रिपोर्ट पर उपस्थित होने से प्रार्थी की आराजी की तरमीम संलग्न परिशिष्ट—अ के अनुसार दुरूस्त की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

4. दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निम्न प्रकार अतिरिक्त निवेदन किया:—
   - कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/3/4.1929 है0 मौजा बोरली की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दर्ज वाद संख्या 88/2010 में निर्णय दिनांक 18.06.2013 के अनुसार एवं तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2013/2240 दिनांक 24.06.2013 की पालना में नामांतरकरण संख्या 80 की पुश्त पर अंकित अनुसार की गई होने से प्रार्थीगण का उक्त आवेदन काबिल—ए—खारिज है।
   - कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी न्यायालय आदेश से पृथक हुई है। जिसका माननीय न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—53 के प्रावधानों के अनुसार सड़क से जोड़ते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी को पृथक किया गया है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा एक अन्य वाद संख्या 151/2015 बउनवान बागाराम बनाम छोगाराम ने पूर्व नामांतरकरण संख्या 80 के इन्द्राज को स्वीकार करते हुए आगे विभाजन करवाया। जिसका नामांतरकरण संख्या 145 पारित किया गया।
   - कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उक्त आराजी के न्यायालय आदेश की पालना में विभक्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुई आराजी की प्रार्थी द्वारा मनगढत तथ्यों एवं आबादी के पास आई अप्रार्थीगण की आराजी को हथियाने के दुराशय से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी का उक्त आवेदन राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 के प्रावधानों के तहत नहीं आने के आधार पर काबिल—ए—खारिज है।

5. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

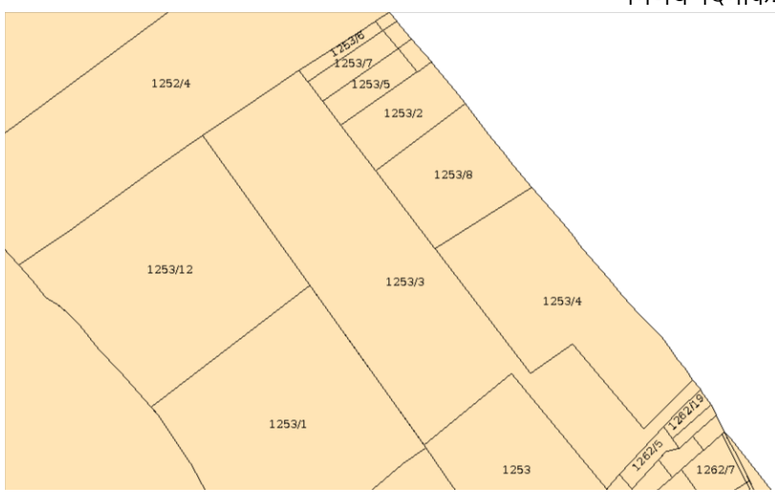

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253/4 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1253/3 मौजा बोरली तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

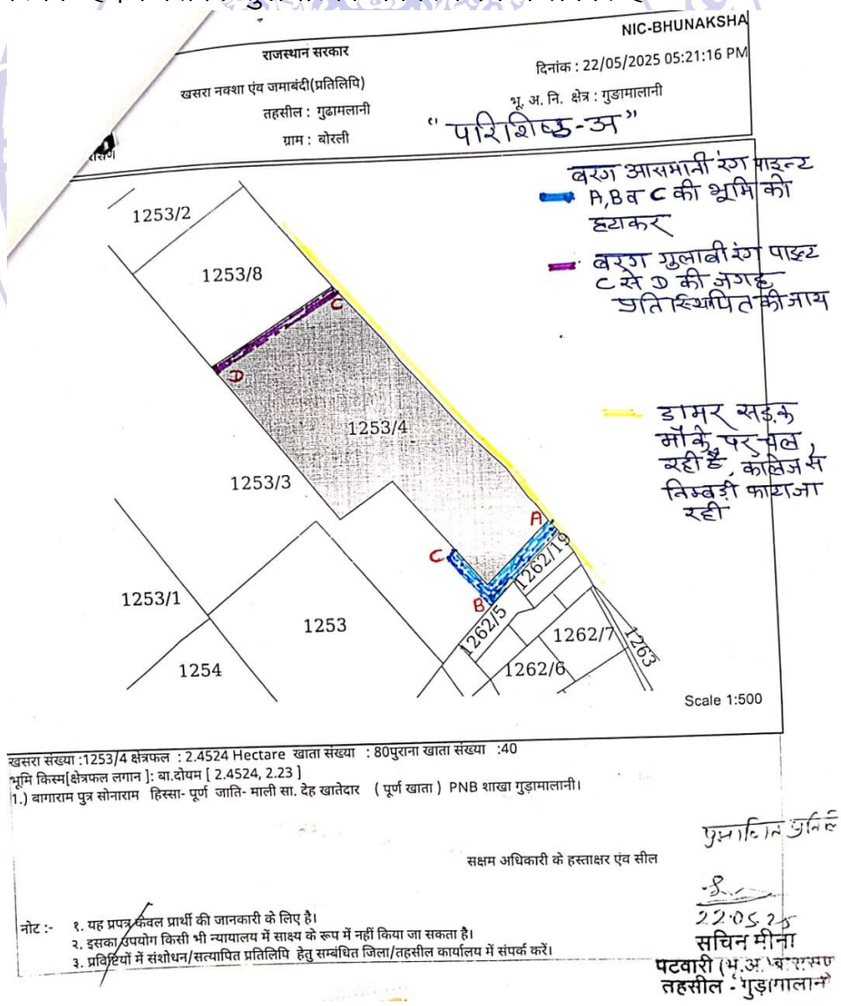

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1139 दिनांक 10. 07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1139 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

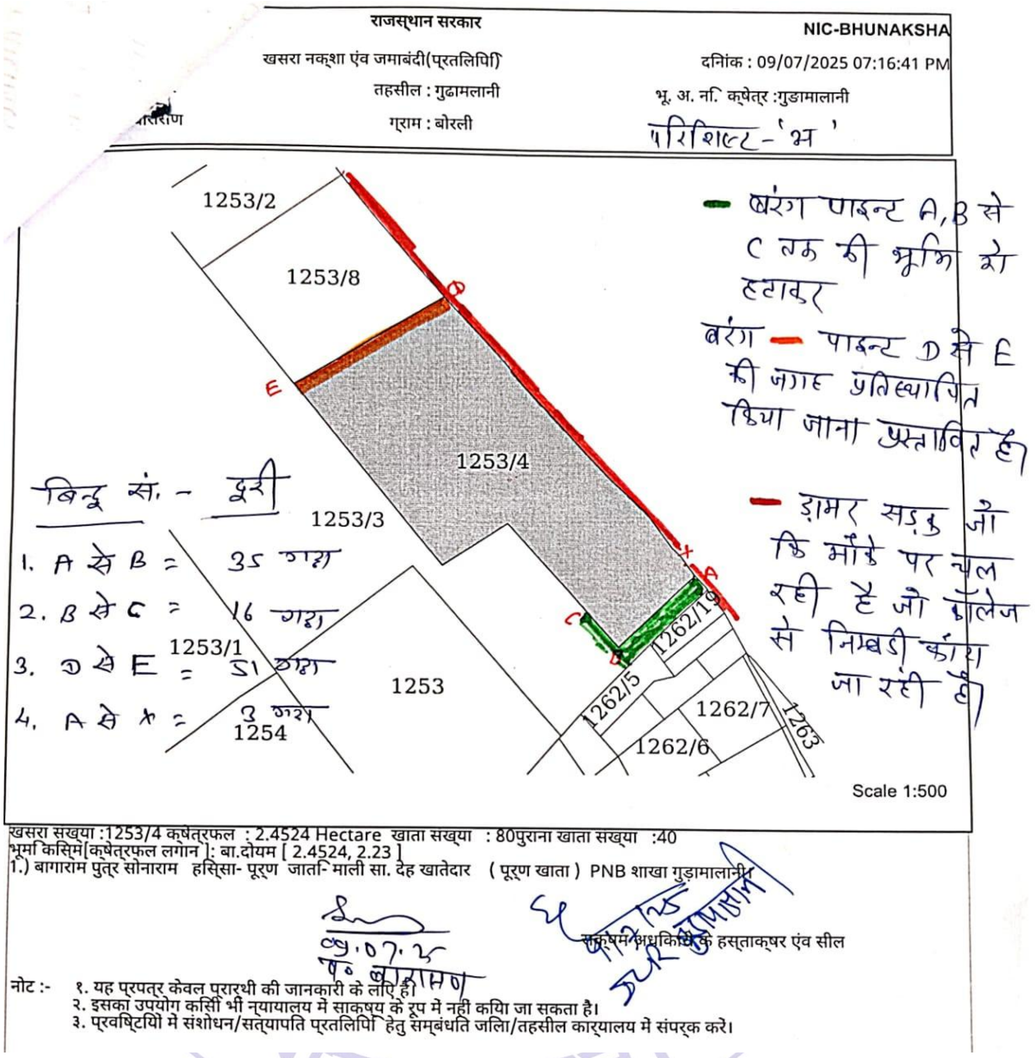

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 1139 दिनांक 10.07. 2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

1. *कि खसरा संख्या 1253 वर्तमान खसरा संख्या 1253 / 4 व अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253 / 3 व पड़ौसी खसरा संख्या 1262 / 19 के बीच की तरमीम नामांतरकरण संख्या 80 की पुश्त पर अंकित तरमीम के अनुसार सही है। अर्थात्त खसरा संख्या 1253 / 4 व अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1253 / 3 व पड़ौस खसरा संख्या 1262 / 19 के बीच की तरमीम बहामी बंटवाड़ा अनुसार सही अंकित की गई है।*
2. *कि उक्त आराजी के खसरा संख्या 1253 (वर्तमान खसरा संख्या 1253 / 4 / 2.4524 है0 व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

1253/3/4.9129 है0) व पड़ौस के खसरा संख्या 1262/19 के बीच की तरमीम विपरीत अंकित नहीं है।

3. *कि आराजी खसरा संख्या 1253 (वर्तमान खसरा संख्या 1253/4 व अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 1253 व पड़ौस के खसरा संख्या 1262/19) की तरमीम परिशिष्ट—अ में दर्शित अप्रार्थीगण की भूमि जो बिन्दु संख्या ए,बी,सी व एक्स द्वारा दर्शित की गई है, यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है व रहवास के लिये काम में ली जा रही है। बिन्दु संख्या ई से डी खसरा संख्या 1253/4 से होकर यह भूमि अप्रार्थीगणों द्वारा आवागमन हेतु व निजी आवश्यकताओं के लिये लम्बे समय से रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है।*
4. *कि वर्तमान में अप्रार्थीगण को आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा संख्या 1253/4 के बिन्दु संख्या ई से डी से पूर्व से ही रास्ते के लिये उपयोग में लिया जा रहा था। किंतु प्रार्थीगण द्वारा कुछ समय से रास्ता बंद किये जाने के कारण अप्रार्थीगणों को आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।*
5. *कि वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट—अ में दर्शित बिन्दु संख्या ए से एक्स के मध्य की दूरी 3 गट्ठा है तथा ए,बी,सी की लम्बाई ए से बी 35 गट्ठा, बी से सी 16 गट्ठा व ई से डी की लम्बाई 51 गट्ठा एवं चौड़ाई 3 गट्ठा है। जिसके अनुसार तरमीम दुरूस्त प्रस्तावित है तथा अप्रार्थी की भूमि में बिन्दु संख्या ए,बी,सी व एक्स तक की भूमि को हटाकर प्रार्थी की भूमि में बिन्दु संख्या ई से डी की तरमीम दुरूस्त प्रस्तावित है।*

8. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1253/3/4.1929 है0 तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 1253/4 व मूल खसरा संख्या 1253 के अन्य हाल खसरे मौजा बोरली की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दर्ज वाद संख्या 88/2010 में निर्णय दिनांक 18.06.2013 के अनुसार एवं तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2013/2240 दिनांक 24.06.2013 की पालना में नामांतरकरण संख्या 80 की पुश्त पर अंकित अनुसार की गई। इस प्रकार उक्त आराजी की सक्षम न्यायालय के विभाजन की डिक्री के आधार पर की गई है। वर्तमान प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती के जरिये उक्त विभाजन की डिक्री के प्रभाव को परिवर्तित करने से संबंधित है। जबकि ऐसा केवल उक्त विभाजन की डिक्री की अपील करके ही ऐसा अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः उक्त आधारों पर हस्तगत प्रकरण में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:04:28 IST
Reason: SelfAttested